प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

सेवा में,

समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पत्रांक/छात्रवृत्ति/ 3621-26 /अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक/2025–26 दिनांक 24 जुलाई, 2025।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक/पूर्व दशम (100%राज्य पोषित) छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/339/नि0अ0क0/छात्रवृत्ति विज्ञप्ति/छात्रवृत्ति(486)/2025–26 दिनांक 10 जुलाई, 2025 के कम में अवगत कराना है कि वित्तीय वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक/पूर्व दशम (100%राज्य पोषित) छात्रवृत्ति योजना का संचालन भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एन0एस0पी02.0) **www.scholarships.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित ऐसे मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालय/संस्थानों/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 10 वीं स्तर में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी) के छात्र/छात्राओं से छात्रवृत्ति पोर्टल **www.scholarships.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की समय सीमा निम्नवत् निर्धारित की गयी है:–

क्र0सं0	गतिविधियां/Activities	दिनांक
1	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ किये जाने की तिथि	10.07.2025
2	ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने की अंतिम तिथि	31.08.2025
3	शिक्षण संस्थानों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित/स्क्रूटनी किये जाने की अंतिम तिथि	15.09.2025

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों को उक्त योजना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

उक्त छात्रवृत्ति योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,
24/7/2025
(मेहरबान सिंह बिष्ट)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

पृ0सं0/छात्रवृत्ति/3621-26 /अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक/2025–26 दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मा0/प्रा0शि0 जनपद चम्पावत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत।
5. संबंधित विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक जनपद चम्पावत को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कोई भी छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

24/7/2025
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद–चम्पावत।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलानी, अधोईवाला, देहरादून।
दूरभाष 0135–2780122, ईमेल– ukdirectorminority@gmail.com

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु अल्पसंख्यक प्री–मेट्रिक/पूर्व दषम्(100%राज्य पोषित) छात्रवृत्ति योजना का संचालन भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एन.एस.पी. 2.0) www.scholarships.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।

2 अतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित ऐसे मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय विद्यालय /संस्थानों/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 10वीं स्तर में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदाय(मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी) के छात्र/छात्राओं से छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की समय–सीमा निम्नवत् निर्धारित की गयी है:–

क्र0स0	गतिविधियां/Activities	दिनांक
1	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ किये जाने की तिथि	10.07.2025
2	ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने की अंतिम तिथि	31.08.2025
3	शिक्षण संस्थानों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित/स्क्रूटनी किये जाने की अंतिम तिथि	15.09.2025

उक्त छात्रवृत्ति योजना से संबधित सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

Digitally signed by
HIRA SINGH
Date: 10-07-2025
13:33:17

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उपनिदेशक।
कृते निदेशक

पत्रांक 339/नि.अ.क./छात्रवृत्ति विज्ञप्ति/छात्रवृत्ति(486)/2025–26 दिनांक 10 जुलाई,2025

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी उत्तराखण्ड, को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि कृपया संबधित शिक्षण संस्थानों को उक्त योजना के संबध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सम्पादक अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की डी.ए.वी.पी दरों पर 8X8 (LXB) साइज में प्रदेष संस्करण के आगामी अंक में प्रकाषित करते हुए बिल भुगतान हेतु निदेशालय को प्रस्तुत करें।

निदेशक।